वित्तीय स्वीकृति 2017-18

संख्या-3/2017/396 /52-2-17- 2(8)/2017

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0, □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 मे वसीका कार्यालय, लखनऊ के अधिष्ठान व्यय हेतु □□□□□□ □□-व्ययक धनराशि रू0 65,25,000/- के प्रथम पाँच माहो के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष धनराशि रू0 25,99,500 की वित्तीय स्वीकृति।

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे वित्त (आय-व्ययक) □□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/□□-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संर -3/2017/□□-1-348/□□-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वसीका कार्यालय, लखनऊ के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित आय-व्ययक धनराशि रू0 65,25,000/-(रूपये पैसठ लाख पच्चीस हजार मात्र) के प्रथम पाँच माहों के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष 5/12वां भाग की धनराशि रू0 25,99,500(रूपया पच्चीस लाख निन्यानबे हजार पाँच सौ मात्र) निम्नलिखित विवरण के अनुसार एवं अधोलिखित प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(□□□ □)□

क्र0□0	□□□ □□ □□ □□	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुमानित आय -व्ययक धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में □□□□□□ □□-व्ययक का 5/12 वां भाग की वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-	01-□□□	4765	4765
2-	02-मजदूरी	5	5
3-	03-मंहगाई भत्ता	238	238
4-	04-यात्रा भत्ता	5	5
5-	06-अन्य भत्ते	300	300
6-	07-□ı□□□	5	5
7-	08-कार्यालय व्यय	28	28
8-	09-विद्युत व्यय	11	11
9-	11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	11	11
10-	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500	500
11-	13-टेलीफोन पर व्यय	10	10
12-	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं	5	5
13-	17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	2	2
14-	45-अवकाश यात्रा व्यय	10	10
15-	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100	100
16-	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	38	38
17-	49-चिकित्सा पर व्यय	200	200
18-	51-वर्दी व्यय	5	5
19-	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय) □ı□	287	--
		6525	2599.5

रू0 25,99,500/- (रूपया पच्चीस लाख निन्यानबे हजार पाच सौ मात्र)

2-(1)व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक □□नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाय कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह □□□ □□□ı□ □ı 1/4 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/4 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

1- □□ □ı□□ı□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के विरुद्ध वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(5) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के संबंध में समय≤पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये □□□व्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप पत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक लेखा शीर्षक-"2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय- 03-वसीका कार्यालय लखनऊ" की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/□□- 2017-231/2017दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख -3/2017/□□-1-348/□□- 2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(□□□□□ □□0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 □□□□□□□□

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 □□□□□□□□

3- वसीकाधिकारी, वसीका कार्यालय, उ0प्र0, □□□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, □□□□□

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जव□□□ □□□, □□□□□

6- वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1/2

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) □□□□□-11

8- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(□□0 अरविन्द कुमार चैरसिया)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अ□: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।